

बिहार सरकार
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

सूचना

“बिहार पत्र-प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2008” के तहत मीडिया कर्मियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के प्रावधान, शर्तों एवं पात्रता आदि की विस्तृत जानकारी एवं विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन मुख्यालय स्तर पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग (मुख्यालय) में तथा जिला एवं अनुमंडल स्तर के आवेदन संबंधित जिलों के जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी के कार्यालय में **दिनांक-29.08.2025 को अपराह्न 04:00 बजे तक जमा किया जा सकता है।**

ह0 / -

(वैभव श्रीवास्तव)

निदेशक

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्रेस (शाखा) 487 / 2020..... / सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (विज्ञापन निर्गम), सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रमुख समाचार पत्रों के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

निदेशक।

ज्ञापांक-प्रेस (शाखा) 487 / 2020..... / सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सभी जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी योग्य मीडिया कर्मियों से ससमय आवेदन प्राप्त करेंगे। सभी प्राप्त आवेदनों की गहन जाँच (संलग्न प्रपत्र के अनुरूप) कर जिला पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ **दिनांक-08.09.2025 तक** अचूक रूप से विशेष दूत के माध्यम से मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे (प्रत्येक आवेदन के साथ जाँच प्रपत्र भी हस्ताक्षर कर लगाना अनिवार्य है)।

ह0 / -

निदेशक।

ज्ञापांक-प्रेस (शाखा) 487 / 2020.26/2 / सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक-11/08/25

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वो इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


11/08/25
निदेशक।